संख्या-33/2022/3543/26-3-2021-1(18)/2020

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,

जनजाति विकास,

उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च 2022

विषय:- **मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत महर्षि बाल्मीकी सेवा संस्थान देवघाट नौगढ़ जनपद-चन्दौली के परिसर में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु 50-50 छात्र क्षमता के छात्रावास (बालक/बालिका) का निर्माण कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-291/म0बा0छा0/ज0जा0वि0/2021-22, दिनांक-09.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत महर्षि बाल्मीकी सेवा संस्थान, देवघाट नौगढ़, जनपद-चन्दौली के परिसर में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-159/2020/3446/26-3-2020-1(18)/2020, दिनांक-10.12.2020 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत महर्षि बाल्मीकी सेवा संस्थान, नौगढ़, जनपद-चन्दौली परिसर में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु 50 छात्र क्षमता के छात्रावास (बालिका) के निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-250.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-50.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-158/2020/3280/26-3-2020-1(18)/2020, दिनांक-10.12.2020 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत महर्षि बाल्मीकी सेवा संस्थान, नौगढ़, जनपद-चन्दौली परिसर में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु 50 छात्र क्षमता के छात्रावास (बालक) के निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-250.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-50.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-05-अनुसूचित जनजातियों के बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत महर्षि बाल्मीकी सेवा संस्थान, देवघाट नौगढ़, जनपद-चन्दौली के परिसर में अनुसूचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनजाति के छात्रों हेतु 50 छात्र क्षमता के छात्रावास (बालिका) का निर्माण कराये जाने हेतु आगणित धनराशि रू0-250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0-86.73 लाख एवं 50 छात्र क्षमता के छात्रावास (बालक) का निर्माण कराये जाने हेतु आगणित धनराशि रू0-250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0-86.73 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-173.46 लाख (रू0-एक करोड़ तिहत्तर लाख छियालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, लखनऊ एवं अन्य सम्बन्धित पक्षों के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास का होगा।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(10)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल, 2020, 18 मई, 2020 तथा 29 सितम्बर, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक- ''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-05-अनुसूचित जनजातियों के बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

पृसं0-33/2022/3543 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, चन्दौली।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in